

डिक्री

दिनांक :-.....10/3/2026

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल ^{आर.ए.एस.} उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि राजीनामा के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन किया जाता है:-

.क. वादी सं. 1 सुरेन्द्र कुमार :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
33 एमओडी	33/252	20 ता 22, 23/.126	0.885 हैक्.
	33/253	2/1, 2/2, 3/1/.114, 3/2/.013	0.380 हैक्.
		कुल तादादी	1.265 हैक्.

ख. प्रतिवादी सं. 2 राकेश कुमार :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
33 एमओडी	33/252	23/.127, 24, 25, 25/1	0.633 हैक्.
	33/253	3/1/.101, 3/2/.025, 4/1, 4/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/2/.015	0.632 हैक्.
		कुल तादादी	1.265 हैक्.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/ बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक ...16/3/2028...
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



3
(समा मित्तल एवम्)
सहायक कलेक्टर और एवम्
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा